न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
06/2018	प्रा.पत्र 251-A RTA	06.04.2018	29.03.2019

1. दीपसिंह पुत्र रामसिंह
2. बजरंगसिंह पुत्र रामसिंह
3. शिशपालसिंह पुत्र रामसिंह

} जाति राजपूत निवासीगण धोधलिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. करणपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी धोधलिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 कृषि भूमि खसरा नम्बर 573/374 रोही मौजा धोधलिया का, प्रार्थी संख्या 2 कृषि भूमि खसरा नम्बर 572/374 रोही धोधलिया का, प्रार्थी संख्या 3 कृषि भूमि खसरा नम्बर 574/374 रोही धोधलिया तहसील चूरू के खातेदार, काबिज काश्तकार हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 504/373 रोही मौजा धोधलिया तहसील चूरू के खातेदार, काबिज काश्तकार हैं। यह कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका कुर्सीनामा नीचे लिखे अनुसार है:–

चन्द्रसिंह (फौत) के तीन पुत्र रामसिंह (फौत), नन्दसिंह (फौत) व पूर्णसिंह (मौजूद) हुए। रामसिंह के वारिसान में बजरंगसिंह, दीपसिंह, शिशपालसिंह हैं जो कि प्रार्थीगण हैं। नन्दसिंह के वारिसान में भंवरसिंह, करणपालसिंह, नरपतसिंह हैं।

यह कि जब प्रार्थीगण के पिता रामसिंह पिता चन्द्र सिंह का स्वर्गवास करीब 50–60 वर्ष पूर्व हुआ और भाईयों के खेतों का बंटवारा हुआ प्रार्थीगण के पिता रामसिंह के हिस्से खसरा नं. 374/288 की कृषि भूमि बंटवारे में आई जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 के हिस्से में खसरा नं. 504/373 की कृषि भूमि आई जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत ख. नं. 504/373/288 की पश्चिम सींव के सहारे सहारे कटानी रास्ते से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 374/288 में रास्ते से आवागमन करते है। जिसमें पश्चिम सींव के सहारे जो कि एकमात्र रास्ता है जो कि कटानी रास्ते से मिलता है जो कि अप्रार्थीगण की ख. नं. 504/373/288 की पश्चिम सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर सींव के चिपते हुवे कटानी रास्ते से

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रास्ता है जो कि नजरिये नक्शे में एनेक्चर ए व बी से दर्शाया गया है। यह कि प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की कृषि भूमि की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 504/373/288 में उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम दिशा की सींव के सहारे–सहारे रास्ता सदामत से पीढ़ियों से चला आ रहा है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने रोक दिया है। इसलिए प्रार्थीगण के लिए अब आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पीढ़ियों से आ रहे खसरा नं. 504/373/288 में से होकर चालू रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटवायें, मौके पर निर्धारित लम्बाई चौड़ाई की उतर से दक्षिण की ओर पश्चिम दिशा की सींव के सहारे से होकर अप्रार्थीगण सं. 1 की कृषि भूमि ख. नं. 504/373/288 दक्षिण से उतरी सींव तक रास्ता कायम करवाये जो कि नजरिये नक्शे में एनेक्चर ए व बी से दर्शाया गया है। इस हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 504/373/288 में से होकर सदैव से पीढ़ियों से प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन के रहे रास्ते को बन्द करने की अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दी जाने वाली धमकिया नहीं देने व चेष्टा न करने हेतु कई बार कहा व दूसरों से भी कहलवाया। पहले तो अप्रार्थीगण हां हूं करते रहे मगर आखिर में दिनांक 10.03.2018 को स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। प्रार्थीगण ख. नं. 374/288 रोही मौजा धोधलिया तहसील चूरू के खातेदार, काबिज काश्तकार होने से तथा ख. नं. 504/374/288 रोही धोधलिया तहसील चूरू में से होकर प्रार्थीगण के खेतों का एकमात्र आवागमन रास्ता होने से उपयोग उपभोग करने से इस आवेदन पत्र के प्रति प्रार्थीगण को आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा दिनांक 10.03.2018 को विवादित रास्ता की बाबत की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से इस आवेदन पत्र के प्रति प्रार्थीगण को कारण प्राप्त है। यह कि विवादित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है इस कारण तहसीलदार साहब चूरू को बतौर अप्रार्थीगण संख्या 2 बनाया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर प्रार्थना पत्र में पारित आदेश तहसीलदार साहब चूरू के मध्य होना है और राजस्थान सरकार के विरूद्ध कोई ऐसा अनुतोष नहीं चाहा इस कारण धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 की ख. नं. 504/373/288 की कृषि भूमि में से कही जाने वाली निर्धारित चौड़ाई व लम्बाई के रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि के बदले भूमि या कीमत डी.एल.सी. दर की दुगुनी कीमत अप्रार्थीगण संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण से इस आवेदन पत्र के प्रति श्रीमान् जी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आवेदन पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः आवेदन पत्र(प्रार्थना पत्र) मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 572/374, 374/288 रोही मौजा धोधलिया तहसील चूरू जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नं. 504/373/288 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे कटानी रास्ते से उत्तर से दक्षिण दिशा से मिलाते हुए उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटवाकर दर्शाया जावे जो कि नजरिये नक्शे में एनेक्चर ए व बी से दर्शाया गया है और मौके पर रास्ते की निर्धारित लम्बाई व चौड़ाई रास्ते में आने वाली उक्त कृषि भूमि के बदले उक्त भूमि प्रार्थी की या उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

करने के लिए तैयार है। रास्ता दस्तावेज में व नक्शा में तरवीन किया जावे व आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की तलबी नहीं होने पर रजिस्टर्ड डाक मय एडी के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की एडी बाद तामील प्राप्त हुई परन्तु उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा तहसीलदार, चूरू से धारा 251 ए के तहत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कर मंगवाई गई। तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अपनी सहमति देते हुए बहस सुनने का निवेदन किया, जिस पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 374/288 रोही मौजा धोधलिया प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की रही है जिसका खाता विभाजन होकर तीनों प्रार्थीगण के खाते व खसरे राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग कायम किये जा चुके हैं जिनके नये खसरा नम्बर क्रमशः 572/374, 573/374, 574/374 कायम हुए हैं। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन हेतु पहले से चले आ रहे रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बन्द कर दिया गया है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधन का अभाव है। हमें रास्ते की वास्तव में आवश्यकता है तथा हम केवल सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहते हैं। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से धारा 251 ए के तहत नियमानुसार अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 की जितनी कृषि भूमि रास्ते में जायेगी उसकी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि वहन करने के तत्पर एवं तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुराना ख.नं. 374/288 नया ख.नं. 572/374 तक आवागमन का 16.5 फीट चौड़ा रास्ता ख.नं. 504/373/288 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण तक नजरी नक्शा ए व बी तथा मौका रिपोर्ट में दर्शितानुसार कटानी रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अंकित करने आदेश फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खेत ख.नं. क्रमशः 572/374, 573/374, 574/374 रोही मौजा धोधलिया में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 504/373 की पश्चिमी सींव के सहारे उत्तर से दक्षिण ख.नं. 572/374 तक रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को पक्षकार बनाया है तथा अप्रार्थी सं. 1 पर विधिवत तामील होने के बावजूद ना तो वह उपस्थित आया है एव ना ही कोई प्रार्थना पत्र का विरोध किया है जिससे उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम धोधलिया खाता के खाता संख्या 14, 69, 111, 206 के अवलोकन जाहिर होता है

उपखण्ड अ
चूरू

खाता नं. 14 ख.नं. 504/373 तादादी 3.9204 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 1 की, खाता सं. 69 ख.नं. 372/374 तादादी 0.5185 हैटेक्यर प्रार्थी सं. 1 की, खाता नं. 111 ख.नं. 573/374 तादादी 0.5185 हैक्टेयर प्रार्थी सं. 2 की एवं खाता नं. 206 ख.नं. 574/374 तादादीद 0.5185 हैक्टेयर प्रार्थी सं. 3 की खातेदारी भूमियां हैं। नकल नक्शा के अवलोकन से वादगत कृषि भूमियों का पूर्व में संयुक्त होना जाहिर करता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में एनेक्जर ए से बी तक चाहा गया रास्ता दर्शित है जो कि कटानी रास्ते से ख.नं. 504/373 की पश्चिमी सींव के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर पुराने ख.नं. 374/288 की उत्तरी–पश्चिमी सींव तक चाहा गया है। तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जो पटवारी हल्का ढाढरिया बणीरोतान, भू–अभिलेख निरीक्षक नाकरासर एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई है, जिसके बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। बिन्दु सं. 2 में अंकित है कि खातेदारों की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। बिन्दु सं. 3 में अंकित है कि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रथम बिन्दु से अन्तिम बिन्दु तक लाल रंग से दर्शित कर दिया गया है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंचने का प्रस्तावित मार्ग निकटतम व लघुतम है। बिन्दु सं. 4 में अंकित है कि प्रार्थी के खेत में पहुंचने के लिये कटानी रास्ते से दक्षिण दिशा में श्री करणपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी धोधलिया के खेत ख.नं. 504/373/288 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे 780 गुणा 30 फीट की दर से कुल 23400 वर्गफीट (0.17 बीघा) भूमि रास्ते में जायेगी। मौका रिपोर्ट के संलग्न नकल नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया गया है। तहसीलदार, चूरू द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 को दिये गये सूचना के नोटिस दिनांक 08.01.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि पक्षकारों को दिनांक 14.01.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उपस्थित रहने की सूचना लिखित में जरिये नोटिस दी गई है। प्रार्थीगण की तामील पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने नोटिस लेने से इन्कार किया है, तामील पर ग्राम के मुखियान के हस्ताक्षर अंकित हैं जिनके समक्ष अप्रार्थी सं. 1 ने नोटिस लेने से साफ इन्कार किया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जाकर तैयार कर भिजवाई गई है। मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की सहमति है।

पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सही प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी खेतों तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थीगण द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादगत कृषि भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता 30 चौड़ाई वाला दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नाग प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है परन्तु वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि हमें केवल 16.5 फीट चौड़ाई वाला रास्ता ही चाहिए। इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित 30 फुट की बजाय 16.5 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि अप्रार्थी सं. 1 की तुलनात्मक रूप से कम भूमि रास्ते में जाये। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को करने हेतु तैयार हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानों में कवर होने से स्वीकार किया जाने योग्य है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के अनुसार ग्राम धोधलिया की डी.एल.सी. दर सड़क पर स्थित कृषि भूमि की 339291/– रूपये प्रति हैक्टेयर एवं सड़क से दूर स्थित कृषि भूमि की 169632/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। प्रार्थीगण का खेत सड़क से दूर स्थित है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना एवं विधिक प्रावधानों के मध्यजनर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 572/374, 573/374, 574/374 रोही ग्राम धोधलिया में आवागमन हेतु कटानी रास्ते से अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 504/373 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 572/374 की उत्तरी सीमा तक 780 फीट लम्बाई एवं 16.5 फीट चौड़ाई का गै0मु0 रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को ग्राम धोधलिया की सड़क से दूर कृषि भूमि की डी.एल.सी. 169632/– रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से गै0मु0 रास्ते में जाने वाली ख.नं. 504/373 की 0.1196 हैक्टेयर कृषि भूमि की दुगुनी राशि 40576/– रूपये अप्रार्थी सं. 1 को अदा कर प्राप्ति रसीद तहसीलदार, चूरू को देने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से रास्ते की एवज राशि के भुगतान की सुनिश्चितता करते हुए उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

आदेश आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू